

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्य वाद संख्या: 2010/25


दायर दिनांक 08.12.2009

वादी	प्रतिवादीगण
1. दुलाराम पुत्र गंगाराम जाति सत्यमेजाट निवासी खरवालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	1. जेटाराम पुत्र गंगाराम 2. सुखाराम पुत्र गंगाराम 3. नाथुराम पुत्र मोहनराम 4. मंगाराम पुत्र मोहनराम 5. हराराम पुत्र मोहनराम 6. लादूराम पुत्र परमाराम 7. किसना पुत्र नारायणराम 8. रामनिवास पुत्र नारायणराम 9. सुखी पत्नी नारायणराम 10. चूनाराम पुत्र गोपालराम 11. मोहनराम पुत्र गोपालराम 12. रामकरण पुत्र गोपालराम 13. मांगीलाल पुत्र सोहनराम 14. भीवाराम पुत्र सोहनराम 15. लाछादेवी पत्नी सोहनराम 16. बालाराम पुत्र आसाराम 17. अर्जनराम पुत्र हणमानराम 18. कानाराम पुत्र हणमानराम 19. सुरेश पुत्र हणमानराम 20. भंवरी पुत्री हणमानराम 21. सिणगारी पत्नी हणमानराम 22. श्रीराम पुत्र आसाराम 23. लालाराम पुत्र धन्नाराम 24. धूलाराम पुत्र शिवलाल 25. सोहनराम पुत्र शिवलाल 26. राधा पुत्री शिवलाल समस्त जाति जाट निवासीगण खरवालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 27. तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा
अन्तर्गत धारा - 53, 88, R.T.Act.

उपरिथत:- पक्षकारान


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

--:: प्राथमिक निर्णय ::--


दिनांक 05.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के खेत खसरा सं० 61 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं० 258/61 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं० 260/61 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं० 299/62 रकबा 05 बिस्वा, खसरा सं० 62 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं० 134 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं० 216 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं० 135 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, वाके सरहद खरवालिया व खसरा सं० 946 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं० 961 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा वाके सरहद लेगा की ढाणी, खसरा सं० 146 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं० 145 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं० 158 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं० 104 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा वाके सरहद खरवालिया में आई हुई है। उक्त खेतों का मौखिक बंटवारा हो चुका है व वादीगण तथा प्रतिवादीगण मौखिक बंटवारे के अनुसार ही कब्जा काश्त है। प्रार्थना वादी है कि वाद के अनुसार पक्षकारान के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर रेकर्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खरवालिया में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद खरवालिया व लेगा की ढाणी के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानून हकदार है। अतः वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।


--:: आदेश ::--

हस्व दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर खेत खसरा सं० 61 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं० 258/61 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं० 260/61 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं० 299/62 रकबा 05 बिस्वा, खसरा सं० 62 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं० 134 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं० 216 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं० 135 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, वाके सरहद खरवालिया व खसरा सं० 946 रकबा


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2010/25
दायर दिनांक 08.12.2009 प्राथमिक निर्णय दिनांक 05.06.2017
दुलाराम बनाम जेठाराम, वगैरा।

15 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 961 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा वाके सरहद लेगा की ढाणी, खसरा सं0 146 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 145 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 158 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 104 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा वाके सरहद खरवालिया आराजी उपर्युक्त का वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 26 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा कर विभाजन प्रस्तावित करने बाबत भूमिधारी (तहसीलदार) डीडवाना को आदेशित किया जाता है।



(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 05.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खरवालिया में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

दिनांक:- 22/12/17

नोट:- प्राथमिक डिडी में वाकी खसरा सं 966 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा लेगा की ढाणी के खसरा सरहद इन्दाकियो की ढाणी इरुल दिना नागौर न्याय खसरा सं 962 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा वाके सरहद लेगा की ढाणी प्राथमिक निर्णय में दर्ज दिना नागौर है।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)